समाहरणालय, लातेहार।

(आपूर्ति शाखा)

राशन कार्डधारियों को सूचना

लातेहार जिला के सभी राशन कार्डधारियों एवं जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों को सूचित किया जाता है कि लातेहार जिला में लक्ष्य के अनुरूप राशन कार्ड निर्गत हेतु रिक्ति पूर्ण हो गई है, परंतु अनेक अत्यंत गरीबों यथा दिव्यांग/असहाय, असाध्य रोगी, कुष्ट, कैंसर, टीवी, विधवा, परित्यकता, स्वीपर अत्यंत गरीब अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य, कुली, मजदूर, रिक्सा चालक आदि परिवारों का राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हो रहा है, जिन्हें अच्छादित करने के लिए अपात्र राशन कार्डधारी सदस्यों को राशन कार्ड से नाम हटाना आवश्यक है।

पूर्व में अनेकों बार राशन कार्ड जमा करने एवं अपात्र सदस्यों को नाम हटाने/प्रत्यार्पण (सरेन्डर) करने का लिखित पत्र एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया है, परंतु अयोग्य एवं संपन्न व्यक्तियों के द्वारा कार्ड सरेन्डर करने में रूचि नहीं ली जा रही है। प्रावधान है कि समय–समय पर राशन कार्डधारियों की भौतिक सत्यापन की जाय तथा मृत/अज्ञात/बेनामी/अयोग्य एवं संपन्न हो गए परिवारों के राशन कार्ड का विलोपन किया जाय। इस हेतु निम्न निदेश दिया जाता है।

1. जिन सदस्यों का राशन कार्ड नहीं है वे ऑनलाईन कराकर डीलर या प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को उसका पावती जमा करें।
2. राशन कार्ड में अंकित किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के उपरांत इसकी लिखित सूचना डीलर को दें।
3. जो सदस्य बोगस है उनकी सूचना डीलर/जिला आपूर्ति कार्यालय/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को दें।
4. राशन कार्ड में एक परिवार के सदस्य से अलग नाम जुड़े हुए हैं तो उसकी सूचना डीलर को दें।
5. जो कार्डधारी गांव से पलायन/बाहर चले गए हैं उनकी सूचना दें।
6. अपात्र/संपन्न/सक्षम परिवार अपना राशन कार्ड संबंधित जन वितरण प्रणाली दुकानदार या पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी अथवा आपूर्ति कार्यालय में प्रत्यार्पण (सरेन्डर) करने का कष्ट करें, ताकि अत्यंत गरीब परिवारों को जिनका आवेदन पत्र प्राप्त है को स्वीकृत करने की कार्रवाई की जाय।
7. इस कार्य में सभी प्रमुख, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, ग्राम–प्रधान एवं अन्य जन प्रतिनिधि, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रतिनिधि, निगरानी समिति के सदस्य, बुद्धिजीवी, निगरानी परिषद् के सदस्य, प्रखण्ड स्तरीय सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस जांच में अपना सहयोग प्रदान करें ताकि अतिआवश्यक परिवार को राशन कार्ड निर्गत किया जा सके।
8. अयोग्य, अपात्र, संपन्न, सक्षम, बेनामी परिवार यदि 30 दिसम्बर 2018 तक राशन कार्ड का प्रत्यार्पण (सरेन्डर) नहीं करते हैं तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा–7 के अनुसार प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती है तथा वितरित खाद्यान्न की राशि वसूली राशन लिये जाने की तिथि से भू–राजस्व के बकाये के सदृश्य बाजार दर पर 10 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज की दर से वसूली की जायेगी।

11/12/18

उपायुक्त, लातेहार